राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक–प.10(215)नविवि/3/09 जयपुर, दिनांक – 13.01.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उपधारा (1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को सोजत (जिला पाली) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है–

क्रम संख्या	ग्रामों का नाम	तहसील
1.	सोजत (Sojat)	सोजत (जिला पाली)
2.	बीलावास (Bilawas)	–– '' ––
3.	धीनावास (Dheenawas)	–– '' ––
4.	बासनी नरसिंह (Basni Narsingh)	–– '' ––
5.	बासनी मूथा (Basni Mootha)	–– '' ––
6.	बासनी तिलवाडियॉ (Basni Tilwadiyan)	–– '' ––
7.	रेन्दडी (Rendari)	–– '' ––
8.	बासनी भदावतांन (Basni Badavtan)	–– '' ––
9.	सरदारपुरा (Sardarpura)	–– '' ––
10.	धन्धेडी (Dhandheri)	–– '' ––
11.	रामासीन बाला (Ramasin Bala)	–– '' ––

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, पाली।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सोजत।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक